

हिमाचल प्रदेश
लोक निर्माण विभाग

क0स0:-लो0नि0वि0/का0स0/ फौरेस्ट केस/ 2020-21:-
प्रेषित,

4206

दिनांक:- 01-09-2020

वन मण्डल अधिकारी
सलूणी वन मण्डल
चुराह

विषय:-

Diversion of 3.5271 ha. Of forest land in favour of HPPWD for the C/o link road from Bhadela to Andwas km 0/00 to 6/300.

संदर्भ:-

भारत सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर-मध्य क्षेत्र) देहरादुन-248001 के कार्यालय पत्र संख्या 8वी/एच.पी. /06/14/2020/एफ.सी./61 दिनांक 27/04/2020

उपरोक्त विषय से सम्बन्धित मांगी गई मद वार सूचना निम्न प्रकार से है:-

1. भारत सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जाएगा।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण के सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि ली जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरण
(क) वन विभाग द्वारा प्रस्तावित 7.06 हे० गैर वानिकी भूमि/ वनाच्छादित वन भूमि संख्या Salooni/Billa Beat/52 DI, Dhar Malhol in PDF में ही प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। और जहां तक व्यावहारिक होगा, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को ही लगाया जाएगा।
(ख) यह मद आपके कार्यालय से सम्बन्धित है।
4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की 10 वर्षों के अंतर्गत जितनी धनराशि बनती है यदि आवश्यक होगी वन मण्डल अधिकारी को जमा करवा दी जाएगी।
5. शुद्ध वर्तमान मूल्य
(क) शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी) की निर्धारित राशि मु० रुपये 33,07,596/- केवल इस कार्यालय के आर.टी.जी.एस न० 19115574 दिनांक 28/08/2020 यु.टी.आर SBIN20241626455 द्वारा ऑनलाईन जमा करवा दी गई है तथा विभागीय शुल्क राशि 1,40,359/- रुपये इस कार्यालय के बैंक न० ए-259219 दिनांक 28/08/2020 द्वारा जमा करवा दिया गया है। जिसकी छायाप्रति इस कार्यालय के पत्र संख्या 4101 दिनांक 01/09/2020 द्वारा आपके कार्यालय को प्रेषित कर दी गई है।
(ख) शुद्ध वर्तमान मूल्य में अतिरिक्त धनराशि की बचन बढ़ता प्रमाण पत्र संलग्न है।
6. यह मद आपके कार्यालय से सम्बन्धित है।
7. यह मद आपके कार्यालय से सम्बन्धित है।
8. माननीय उच्चतम न्यायलय द्वारा जो भी दिशा निर्देश होंगे तदनुसार ही कार्य किया जाएगा।
9. कार्य को करने के लिए विभाग पूरी कोशिश करेगा की कम से कम पेड़ों को काटा जाए। और पेड़ों के लागत की धनराशि ऑनलाईन जमा करवा दी गई है।
10. धनराशि ई-पोर्टल के माध्यम से ही कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित जमा की गई है।
11. एफ.आर.ए. 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से ही सुनिश्चित किया गया है।
12. विभाग सड़क के दोनों किनारों पर पौधों की संख्या को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का प्रयास करेगा।
13. संरक्षित क्षेत्रों/ वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाये जाएंगे।
14. विभाग पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए पर्यासरत है।
15. केन्द्र सरकार के दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा।
16. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर न बनाए इसके लिए विभाग पर्यासरत रहेगा।
17. विभाग दी गई शर्त की अनुपालना करने के लिए पूरी कोशिश करेगा।
18. सरकार द्वारा दिये गए निर्देशों को पालन करने के लिए विभाग पर्यासरत रहेगा।
19. सरकार द्वारा दिए गए निर्देश का विभाग सख्ती से पालन करेगा।
20. प्रयोक्ता अभिकरण इस विषय पर सहमत है।
21. वन भूमि का उपयोग विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं करेगा।
22. इस विषय पर विभाग पूरी तरह से सहमत है।
23. इस विषय पर विभाग पूरी तरह से सहमत है।
24. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में जो भी शर्तें लागू होंगी विभाग द्वारा उन पर अमल किया जाएगा।
25. अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल पर अपलोड करने के बाद ही आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

संलग्न/ यथोपरि

अधिसूचना अभियन्ता,
मण्डल सलूणी हि०प्र०
लो०नि०वि० सलूणी